आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
6.4.21	**न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिटेटर, धनबाद** **आर्बिट्रेशन केश नं0–48/2020** **कृष्ण प्रसाद यादव** –बनाम– **भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य**	

दावेदार के आवेदन के आलोक में बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा–कोईरीडीह, थाना नं0–**110**, खाता नं0–**38**, प्लॉट नं0–469, रकवा–**0.12 एकड़**, भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–32 के 4 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि एन0एच0–32 के अन्तर्गत मौजा–कोईरीडीह, थाना नं0–**110**, खाता नं0–**38**, प्लॉट नं0–469, रकवा–**0.12 एकड़**, एवार्ड नं0–1 के द्वारा भू–अर्जन वाद सं0–82/2014–15 के तहत भूमि अधिग्रहण की गई है। जिसके एवज में 4,24,018.00 रूपये मुआवजा राशि भुगतान किया गया है। अर्जित भूमि का बाजार दर के आधार पर निर्धारण नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा राशि का पूर्नमूल्यांकन कर मुआवजा राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि यह वाद Not Maintainable है तथा वाद को अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक को मुआवजा राशि सही गणना कर भुगतान किया गया है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद का ज्ञापांक–**1519**/भू0अ0, दिनांक–**29.12.2020** के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–कोईरीडीह, थाना नं0–**110**, खाता नं0–**38**, प्लॉट नं0–469, रकवा–**0.12 एकड़**, भूमि अर्जन किया गया है, भूमि का मुआवजा राशि भुगतान किया गया है एवं संरचना का **4,24,018.00** रू0 भुगतान किया जा चुका है।

अंचल अधिकारी, बाघमारा का पत्रांक–**244**, दिनांक–**09.03.2021** के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, जो मौजा–कोईरीडीह, थाना नं0–**110**, खाता नं0–**38**, प्लॉट नं0–469, रकवा–**0.12 एकड** से संबंधित जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि i) अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व संरचना अवस्थित था। वर्तमान में इसे NH-32 विभाग द्वारा तोड़ दिया गया है। ii) उक्त अर्जित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद खाते की भूमि है एवं हाल सर्वे खतियान में प्रकृति मकानमय सहन दर्ज है। iii) वर्तमान में उक्त भूमि की संरचना टुटी हुई है। iv) उक्त भूमि का जाँच प्रतिवेदन जो जिला–भू–अर्जन पदाधिकारी धनबाद को समर्पित किया गया है।

अतः पक्षो को सुनने एवं प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि अंचल अधिकारी, बाघमारा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अर्जित भूमि

Scanned with CamScanner

गत सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद खाते की भूमि है। साथ ही जिला–भू–अर्जन पदाधिकारी धनबाद द्वारा भूमि एवं अवस्थित संरचना का मुआवजा राशि भुगतान किया जा चुका है। मुआवजा राशि के भुगतान को उचित पाकर किसी प्रकार का कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आवेदक द्वारा राशि का पूर्नमूल्यांकन हेतु कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अतः इस वाद को अस्वीकृत किया जाता है। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रतिलिपि आवेदक/NHAI एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद को दें।

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर, धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर, धनबाद।

समाहरणालय धनबाद (जिला स्थापना शाखा)

ज्ञापांक: 4613../स्था. दिनांक: 06/07/2021.

प्रतिलिपि:- श्री कृष्ण प्रसाद यादव, पिता स्व० जगदीश यादव, सा०:- गोविन्दपुर (हॉल्टम) पो०:- मधुबन, थाना:- मधुबन, गोविन्दपुर (जिला-धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला भू-अर्जन पदा० धनबाद/ परियोजना निदेशक NHAI धनबाद/ उपायुक्त (भू०अ०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता
धनबाद

Digitally signed by NAND KISHORE GUPTA
Date: 2022.11.23 19:03:49 +05:30
Location: 192.168.119.61

Scanned with CamScanner